फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

मनीष कुमार बनाम **श्यामलाल**

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 398 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
24.05.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2022 को पेश हो।	
13/6/22	अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से सुबोध शर्मा अधिवक्ता उप. (वकालतनामा) पेश कर वादी के वाद का स्वीकार कर इकबाल जवाब पेश किया पेशकार रा. ने जवाब व साक्ष्य वादी से वादी ने शपथपत्र पेश किया शामिल मिसल किया जिरह नहीं करने के कारण पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/6/22 को पेश हो।	
16/6/22	वकलाए फरीकैन उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27/6/22 को पेश हो।	
27/6/22	वकलाए फरीकैन उपस्थित वाद वादी आपसी सहमति साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 398 सन 2022

अनवान :–

1. मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवेन्द्र पूनिया पुत्र रमेश कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सीमा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कान्ता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. आरजू पुत्री श्यामलाल जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पूनम पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम 1/12 ,1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादीगण के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बहने एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजों वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम 1/12 ,1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादीगण के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादीगण की बुआ व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादीगण की बहने एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
बोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम 1/12 ,1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि रामप्रताप पुत्र हरदत के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामप्रताप पुत्र हरदत के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातदेार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवेन्द्र पूनिया पुत्र रमेश कुमार पुत्र श्यामलाल जाति जाट साकिन चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सीमा पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. कान्ता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. आरजू पुत्री श्यामलाल जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. पूनम पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी जसाना हाल निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 398 सन 2022 निर्णय दिनांक- 27/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 162/162 की कुल 8.3490हैक में से 20873/83490 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातदेार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 117/117 की कुल 3.6690हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner